

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बद्धित विषय पर यहि पूर्ण तर पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवध्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शूलीवसिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/ 4352

दिनांक: ९.८.१५

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ ऐज्यूकेशन, गोहद, जिला-मिण्ड (07539-222219) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशासाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442828)


(2) प्रो. विवेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. रेणू श्रीवास्तव, प्राचार्य, बोर्सटन कॉलेज, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधार्जों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुरू, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमति प्रमाण-पत्र, भवन, कीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेब्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से उपर्युक्त स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः दो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को डण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विज्ञान छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक विधारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराके की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यापार कुलसंचिव जीवाजी
 विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
 कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
 सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
 व्यापार कुलपति हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
 अवधारणा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : शूलीवरीटी
 दूरभाष : (0751) 2341896
 (0751) 2442829
 फैक्टरी : (0751) 2341768

प्रेषक :
 कुलसंचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय
 ग्वालियर
 क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009/५ ७६७

दिनांक: ८.१.०.६.१५.२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्धित ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, गोहद, झिण्ड को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एच. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्तन ने दागुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आरा०, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)

(0751-2442836)

(2) प्रो. याजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालीय विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुभोग है कि वे परिवियम 27/28 के प्रवाहानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण करनी चाहिए और शूलिक, घरेलू राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुबोध/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं शुल्क, घरेलू राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुबोध/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा ऐच्छिक सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉफ की विद्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद के नेतृत्वाधारी वर्ष 2012-13 के सभी सम्बन्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जावे हैं। इस समस्त समितियों के संयोजकों एवं गहाविद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था के अध्यक्षों/सचिवों का यह उत्तरदायित है कि वे अपने गठितालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अस्थायक रूप से सम्पन्न करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विराटण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एन माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सञ्चालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बन्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक/कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलिका से विरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. मानदेव महाविद्यालय द्वारा देना होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय एवं अन्य और भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करावे की व्यवस्था करें।
3. आत्मवक्त उच्च शिक्षा, सत्युडा भवन, भोपाल
4. कुलाधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के डेंजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसंचिव (सम्बन्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सनस्त प्रभु व्यवहार कुलसंविव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे ज
कि दिल्ली अख्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पर
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सचिव से।



ग्राह : दूनीवर्षी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiawaji.edu/>

प्रेषक :
कुलसंविव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/५९९२

दिनांक : ५/६/१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के निर्णयानुसार ओएसिस एम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, गोदावरी-मिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तुलीय आ.पा., हिन्दी, इतिहास, भूगोल/सैन्यविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर एज्लीकेशन (अति.वि), बी.ए.एस.सी. तुलीय, बी.बी.ए. तुलीय वर्ष, बी.कॉम. तुलीय प्लन/कम्प्यूटर एज्लीकेशन (अति.वि), बी.एस.सी. द्वितीय आ.पा. गणित, भौतिक, रसायन/जन्मविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर साइंस (अति.वि) एवं बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिक्रिया :-

- पुस्तकालय में रु. 50,000/- की पुस्तकें क्रय की जावें।
- खेलकूद का मैदान विकसित किया जावे।

आदेशानुसार
3
कुलसंविव

प्रति,

- प्राचार्य, ओएसिस एम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, गोदावरी-मिण्ड, जिला-मिण्ड
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, शोपाल।
- सेवीय अतिवित्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, भोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंविव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसंविव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समलूप पत्र व्यवहार कुलसंचित जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए ग
कि विली अन्य प्राचीनकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो यह क्रमांक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



आम : दूसीजार्हेटि
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(ग्वालियर)
2442462 (विजास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiawaji.edu/

प्रेषक :
कुलसंचित,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बन्धता/2012/ 5296

दिनांक : 26/09/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिकारियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की
बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (02) के विर्यावासार ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज
ऑफ एज्यूकेशन, गोहद, जिला-भिण्ड को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम
के लिये अस्थाई सम्बन्धता विनाश शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. पुस्तकालय हेतु नवीनतम जर्बल्स क्रय किये जावें।
2. शासी निकाय की बैठक आयोजित की जायें।
3. परिवेशम 27 एवं 28 का पालन किया जावे।

आदेशावासार

कुलसंचित

प्रति,

1. प्राचार्य ओएसिस इम्पीरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, गोहद, जिला-भिण्ड
2. संचित, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला रिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. सेवीय अंतरिक्ष संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, गोती महल
परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसंचित (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु।

संचालक कुलसंचित (सम्बन्धता)